कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019/ दिनांक : 21·02·19

1.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2019 के सुव्यवस्थित एवं निर्बाध संचालन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ दिनांक : 07 मार्च, 2019 से 02 अप्रेल, 2019 के मध्य आयोजित की जा रही हैं। उक्त परीक्षाओं के सुव्यवस्थित एवं निर्बाध संचालन हेतु शासकीय निर्देशानुरूप प्रतिवर्ष जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला–परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाता है। इस वर्ष उक्त परीक्षाओं में सम्पूर्ण राज्य में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। आपसे सम्बन्धित जिले में आपकी अध्यक्षता में गठित की जाने वाली 6 सदस्यीय जिला–परीक्षा संचालन समिति में जिला पुलिस अधीक्षक को सह अध्यक्ष तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को सदस्य सचिव का दायित्व प्रदान किया गया है। उक्त समिति में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी सदस्य के रूप में मनोनीत है। परीक्षा के निर्बाध आयोजन में वीक्षक से लेकर जिला परीक्षा संचालन समिति के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः परीक्षा आयोजन के सभी घटकों के पारस्परिक समन्वय से ही परीक्षा के सफल आयोजन की अपेक्षा की जा सकती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि जिला परीक्षा संचालन समिति के सदस्य–सचिव के रूप में प्रत्यक्षतः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इस हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को वांछित सहयोग प्रदान करें एवं प्रसारित आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएँ। पारस्परिक समन्वय अथवा आवश्यक सहयोग की कमी से परीक्षा में होने वाली बाधा के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप परीक्षा आयोजन एवं संचालन की सुनिश्चितता करें। परीक्षा के निर्बाध संचालन हेतु स्थाई निर्देशों–आदेशों में आवश्यकतानुसार एवं समय रहते शिथिलन हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें।

उपर्युक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका एक वरिष्ठ मार्गदर्शक अधिकारी के रूप में अपेक्षित है। परीक्षा सम्बन्धी किसी भी सुझाव–निर्देशों की पालना हेतु कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करते समय यह ध्यान रखें कि उनके निर्देशों से परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने पाए। परीक्षा का निर्बाध संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उक्तानुरूप परीक्षा आयोजन से जुड़े समस्त घटकों द्वारा अपनी भूमिका से विचलन सामने आने पर सम्बन्धित का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर द्वारा बोर्ड परीक्षा–2019 से सम्बन्धित प्रसारित किए गए समस्त आदेशों को शून्य करते हुए निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा–2019 के संचालन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का आदेश जिला परीक्षा संचालन समिति की स्वीकृति के बिना जारी नहीं करें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक, धौलपुर को उनके पत्र दिनांक : 16.02.2019 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा संचालन में सभी घटकों के साथ समुचित सम्पर्क–समन्वय रखते हुए बोर्ड एवं विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा